राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या : 845/2023

सुनील कुमार शर्मा —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अति. मुख्य सचिव, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतीकरण की दिनांक— 03.02.2023

आदेश की दिनांक — 25.05.2023

उपस्थिति—

अपीलार्थी की ओर से — श्री शोभित तिवाड़ी, अभिषक

प्रत्यर्थीगण की ओर से — श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 10.06.2022 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को काल्पिनिक नियुक्ति दिनांक 14.12.1998 से चयनित वेतनमान का लाभ देते हुए सभी पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें एवं शेष राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक व्याज का भुगतान किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैः—

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के पद पर राजकीय उ मा वि बालाकुंड, कोटा में कार्यरत है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी ने पीईटी ग्रेड—2 के पद पर सीधी भर्ती के तहत वर्ष 1998 में परीक्षा में भाग लिया और निर्धारित अंको के आधार पर उत्तीर्ण योग्य अंक प्राप्त किए परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसकी बी पी एड की योग्यता सही नहीं मानते हुए उसकी अभ्यर्थता पर विचार नहीं किया और उससे कम मेरिट वाले अभ्यर्थी को वर्ष 1998 में नियुक्ति दे दी। जिसके क्रम में अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के

समक्ष एस बी सिविल रिट याचिका 1648/2001 प्रस्तुत की और माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 19.04.2001 को पारित करते हुए अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय दिया । उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 15.08.2003 के द्वारा कार्यग्रहण किया परंतु उसके सेवालाभों को उसकी कार्यग्रहण तिथि से आगे बढा दिया। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा की गई यह कार्यवाही नियमों के विपरीत है। अपीलार्थी ने उक्त मामले के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किए परंतु उनका कोई निस्तारण नहीं किया गया। अपीलार्थी के समान मामलो के आधार पर श्री श्याम सुंदर शर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 4687/2014 प्रस्तुत की जिसमें सेवालाभ जैसे वरिष्ठता, वेतन निर्धारण, वार्षिक वेतन वृद्धि इत्यादि उससे कनिष्ठ कार्मिक की देय तिथि से दिए जाने का अनुरोध किया और माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को स्वीकार कर आदेश दिनांक 11.08.2014 को प्रार्थी के पक्ष में निर्णय दिया । इसी तरह अबदुल राशिद खारदा एस बी सिविल रिट याचिका संख्या 9033/2018 में भी माननीय उच्च न्यायालय ने प्रार्थी के पक्ष मे आदेश दिया और प्रत्यर्थी विभाग ने उक्त आदेश की पालना में उसकी काल्पनिक नियुक्ति दिनांक से काल्पनिक लाभ प्रदान किया। इसी तरह प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.08.2020 के विरूद्व भगवान स्वरूप वाद में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 25.11.2021 पारित किया जिसमें जो निर्देश भगवान स्वरूप पाठक वाले मामले में प्रत्यर्थी विभाग को दिए गए है वही निर्देश अपीलार्थी वाले मामले में भी लागू होंगे। प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 04.03.2022 को मा उच्च न्याायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.11.2021 के विरूद्व नो अपील का निर्णय लिया। माननीय उच्च न्यायालय आदेश दिनांक 25.11.2021 की पालना में आदेश दिनांक 08.04.2022 के द्वारा नियुक्ति दिनांक 14.12.1998 से काल्पनिक लाभ जैसी वरिष्ठता आदि आगे बढाई गई थी। आश्चर्य है कि अपीलार्थी को एसीपी का लाभ दिनांक 14.12.1998 से नहीं बढाते हुए यह अंकित किया गया कि याचिकार्थी कार्मिको को नोशनल परिलाभ उनके कनिष्ठ वरियता वाले अभ्यार्थी की कार्यग्रहण तिथि के अनुसार काल्पनिक रूप से दिया जाता है एवं वास्तविक परिलाभ तत्समय परिवीक्षाकाल में नियमित वेतन श्रृंखला देय होने से, कार्मिक की स्वंय के कार्यगहण तिथि से दिये जाने की स्वीकृति दी गई। अपीलार्थी ने एसीपी लाभ के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को कई अभ्यावेदन दिये, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई निराकरण नहीं किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.11.2021 के निर्देशों के बाद भी आलोच्य आदेश दिनांक 10.06.2022 के द्वारा भी काल्पनिक नियुक्ति तिथि से एसीपी नहीं दी गई

जबकि प्रत्यर्थी विभाग पूर्व में काल्पनिक नियुक्ति दिनांक से अन्य निर्णित कोटा जिले के मामलों में एसीपी का लाभ दे चुका है। अपीलार्थी ने इस तरह के निर्णय आदेश संभाग कोटा, बीकानेर एवं भरतपुर आदि के आदेश प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत किये। जिनमें काल्पनिक नियुक्ति दिनांक से एसीपी का लाभ दिया गया है जो अनुलग्नक–12 से प्रकट होता है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.11.2021 की पालना न होने पर अपीलार्थी ने एस.बी.सीसीपी पीटिशन याचिका संख्या 686/2022 आलोच्य आदेश दिनांक 10.06.2022 के विरूद्व प्रस्तुत की और माननीय उच्च न्यायालय नेआदेश दिनांक 04.01.2006 को पारित करते हुए अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करने के निर्देश दिये। उक्त निर्देशों की पालना में अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 10.06.2022 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को काल्पिनिक नियुक्ति दिनांक 14.12.1998 से चयनित वेतनमान का लाभ देते हुए सभी पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें एवं शेष राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक व्याज का भुगतान किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि अपीलार्थी को नियमानुसार वास्तविक कार्यग्रहण की तिथि/नियमिति नियुक्ति तिथि से नियमानुसार 9 एवं 18 वर्षीय चयनित वेतन मान का लाभ दिया जा चुका है ओर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 12.05.2022 का निस्तारण आदेश दिनांक 10.06.2022 के द्वारा किया जा चुका है। अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका संख्या 3184/2019 प्रस्तुत की गई। जिसके क्रम में माननीय न्यायालय में दिनांक 25.11.2021 को आदेश पारित किया और आदेश की पलना में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त आदेश की पालना की जा चुकी है। अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के स्तर पर जारी ऐसे किसी भी सेवा नियम/आदेश/परिपत्र को प्रस्तुत नहीं किया जिसमें काल्पनिक कार्यग्रहण दिनांक से एसीपी संदाय किये जाने का कोई उल्लेख हो। अपीलार्थी नियमित नियुक्ति दिनांक से एसीपी का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जाने योग्य है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए कहा है कि प्रत्यर्थी विभाग ने जानबूझकर तथ्यो का नजरअंदाज किया है जबकि

Close-7 (1) Of the Memorandum दिनांक 31.12.2009 जिसमें निम्नप्रकार अंकित किया गया है:—

> *"Regular service for the purpose of grant of ACP shal be as defined in sub-rule (11) of Rule 5 of Rajasthan Civil Services Revised Pay Rules, 2008, Reproduced below:*
>
> *"(11) Regular Service means and includes service rendered by a Government Servant on his appoinntment after regular selection in accordance with the provisions contained in the relevant recruitment Rules for the post. The period of service rendered on AD-hoc basis/urgent temporary basis shall not be counted as the regular service. In other words, the period of service which is countable for seniority shall only be counted as regular service."*

इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा भर्ती प्रक्रिया अपनाकर नियमित पदों के विरूद्व अपीलार्थी को वर्ष 1998 में शारीरिक शिक्षक ग्रेड द्वितीय के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। अपीलार्थी योग्य होने के बावजूद प्रत्यर्थी विभाग ने नियमानुसार अपीलार्थी की अभ्यर्थी पर विचार नहीं किया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एसबीसी याचिका संख्या 1648/2001 प्रस्तुत की जिसके द्वारा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कार्यवाही को आदेश दिनांक 19.04.2001 के द्वारा रोका गया और प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को दिनांक 15.08.2003 को नियुक्ति जारी की। प्रत्यर्थी विभाग के गलत तरीका अपनाये जाने से अपीलार्थी की सेवाओं को उससे कनिष्ठ कार्मिको के नियुक्ति दिनांक से गणना नहीं की गई। जिससे अपीलार्थी मैरिट क्रमांक में उपर होने के बावजूद अपने कनिष्ठ कार्मिक से मैरिट क्रमांक से नीचे रह गया। जो नियम विरूद्व है। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 13.08.2020 के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को भगवान स्वरूप पाठक वाले मामले के समान लाभ देने का निर्देश दिया, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को कोई लाभ नहीं दिया गया। जो विधि विरूद्व है अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के राजकीय विद्वान अधिवक्ता ने उल जवाब का जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि अपीलार्थी की वास्तविक नियुक्ति दिनांक 15.08. 2003 है। अपीलार्थी को काल्पनिक नियुक्ति दिनांक से एसीपी की देयता के संबंध में वित्त विभाग के निम्नानुसार वर्णित आज्ञात्मक प्रावधानों की नियमानुसार अनुपालना संभव नहीं है।

उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में काल्पनिक नियुक्ति तिथि से वास्तविक/नियमित नियुक्ति दिनांक के संबंध में उचित निर्णय लिया जाना संभव नहीं हैं। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वर्तमान में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी ने पीईटी ग्रेड–2 के पद पर सीधी भर्ती के तहत वर्ष 1998 में परीक्षा में भाग लिया और निर्धारित अंको के आधार पर उत्तीर्ण योग्य अंक प्राप्त किए परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसकी बी पी एड की योग्यता सही नहीं मानते हुए उसकी अभ्यर्थता पर विचार नहीं किया और उससे कम मेरिट वाले अभ्यर्थीयों को वर्ष 1998 में नियुक्ति दे दी। जिसके क्रम में अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस बी सिविल रिट याचिका 1648/2001 प्रस्तुत की और माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 19.04.2001 को पारित करते हुए अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय दिया । उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी श्री सुनील कुमार शर्मा की नियुक्ति दिनांक 15.08.2003 एवं श्री पवन कुमार द्विवेदी की नियुक्ति दिनांक 20.01.2001 को हुई थी। परंतु उसके सेवालाभों को उससे कनिष्ठ कार्मिकों की तिथि से उसकी सेवा अवधि की गणना नहीं की गई और न ही उसे काल्पनिक लाभ दिये गये। अबदुल राशिद खराडा एस बी सिविल रिट याचिका संख्या 9033/2018 इसी तरह भगवान स्वरूप पाठक वाले मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रार्थी के पक्ष में आदेश दिनांक 25.11.2021 पारित किया अपीलार्थी का मामला भी उक्त मामलों के आधारो पर ही समान है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 04.03.2022 को मा उच्च न्याायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.11.2021 के विरूद्व नो अपील का निर्णय लिया जा चुका है। मा उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.11.2021 की पालना में आदेश दिनांक 08.04.2022 के द्वारा नियुक्ति दिनांक 14.12.1998 से काल्पनिक लाभ जैसी वरिष्ठता आदि आगे बढाई गई थी। जहां तक अपीलार्थीगण को काल्पनिक नियुक्ति दिनांक से एसीपी का लाभ न दिये जाने का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में Close-7 (1) Of the Memorandum दिनांक 31.12.2009 जिसमें निम्नानुसार अंकित किया गया है:–

> *"Regular service for the purpose of grant of ACP shal be as defined in sub-rule (11) of Rule 5 of Rajasthan Civil Services Revised Pay Rules, 2008, Reproduced below:*
>
> *"(11) Regular Service means and includes service rendered by a Government Servant on his appoinntment after regular selection in accordance with the provisions contained in the relevant recruitment Rules for the post. The period of service rendered on AD-hoc basis/urgent temporary basis shall not be counted as the regular service. In other words, the period of service which is countable for seniority shall only be counted as regular service."*

इस प्रकार अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आदेश दिनांक 10.06.2022 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त मामलों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी को काल्पनिक नियुक्ति दिनांक से सेवा मानते हुए समस्त काल्पनिक लाभ जिस तिथि से उससे कनिष्ठ कार्मिको को प्रदान किये गये है, उसी तिथि से अपीलार्थी को भी प्रदान किया जावे एवं नियमानुसार शेष राशि पर व्याज का भुगतान भी किया जावे। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन माह में की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य